

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. डी. 594-90-03-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे अनुसूची में उल्लिखित की गई वन भूमि, पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन करते हुए करता है कि, व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जावें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनोक्त या प्रभावित नहीं किए जावेंगे.

अनुसूची

जिला—सतना		तहसील—रघुराजनगर		वन मण्डल—सतना	वन परिक्षेत्र—मझगवां
अनु. क्र. (1)	वन खण्ड का नाम (2)	वन या बंजर भूमि का नाम (3)	खसरा क्रमांक (4)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (5)	सीमाएं (6)
1	नयागांव "स"	राजस्व पड़त भूमि	96/1	8.000	उत्तर—ग्राम नयागांव ख. नं. 95 कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 1 स से 2स. पूर्व—ग्राम नयागांव ख.नं. 96/1 के अंश भाग में कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 2स से 3स. दक्षिण—ग्राम नयागांव ख.नं. 96/1 के अंश भाग में कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 3स से 4स. पश्चिम—ग्राम नयागांव नाला का ख.नं. 97 के सीमा पर कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 4स से 1स.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. डी. 594-90-2003-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी. 594-90-2003-दस-3 दिनांक 17 फरवरी 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th February 2003

No. D 594-90-03-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the Provisions of Chapter V of the said Act Applicable to the Forest Land/Waste Land specified in the Schedule below subject to the conditions, that the existing rights of Individuals of communities shall not be abridged or effected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District—Satna		Tahsil—Raghuraj Nagar		Forest Division—Satna		Forest Range—Majhgawan (M.P.)
S.No. (1)	Name of Block (2)	Name of Forest or Waste Land (3)	Khasra No. (4)	Area (in Hects.) (5)	Limits (6)	
1.	Nayagawn "C"	Revenue Waste land	96/1	8.000	North —Village-Nayagawn Kh. No. 95 & artificial cut line from New Piller No. 1C to 2C. East —Village-Nayagawn Kh. No.96/1 part artificial cut line from New Piller No.2C to 3C. South —Village-Nayagawn Kh. No. 96/1 Part. artificial cut line from New Piller No.3C to 4C. West —Village-Nayagawn Nala Kh. No. 97 artificial cut line from New Piller No.4C to 1C.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Addl. Secy